अध्याय-1

परिचय

अध्याय-1

परिचय

1.1 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

अपशिष्ट वे सामग्रियां हैं जिनके लिए उत्पादन, परिवर्तन या उपभोग के अपने उद्देश्यों के संदर्भ में उत्पन्नकर्ता को कोई और उपयोग नहीं है, और जिसका वह निस्तारण करना चाहता है। अपशिष्ट को आमतौर पर उनकी प्रकृति के आधार पर नगरीय ठोस अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, बूचड़खाना अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और हानिकारक अपशिष्ट में वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर जैविक, अजैविक, दहनशील, शुष्क और निष्क्रिय के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यद्यपि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक आवश्यक सेवा है और देश भर में नगरपालिका प्राधिकारियों का एक अनिवार्य कार्य है, फिर भी इसका प्रबंधन अकुशल तरीके से किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणामों के संदर्भ में अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इसके आस-पास के मनोरम दृश्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

1.2 अपशिष्ट प्रबंधन का पदानुक्रम और प्रक्रिया

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 5-आर, रिड्यूस (कम करना), रियूज (पुनः उपयोग करना), रिसाइकल (पुनर्चक्रण), रिकवरी (पुनर्प्राप्त करना) एवं रिमूव (समाप्त करना) का पदानुक्रम शामिल है।

रिड्यूस (कम करना): अपशिष्ट प्रबंधन में प्रथम उपाय के रूप मे, अपशिष्ट से बचाव और अपशिष्ट में कमी लाना है। इस पहल का उद्देश्य वस्तुओं को इस तरह से डिजाइन करना है जिससे उनके अपशिष्ट घटकों को न्यूनतम किया जा सके। साथ ही, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा और उसकी विषाक्तता को कम करना भी महत्वपूर्ण है।

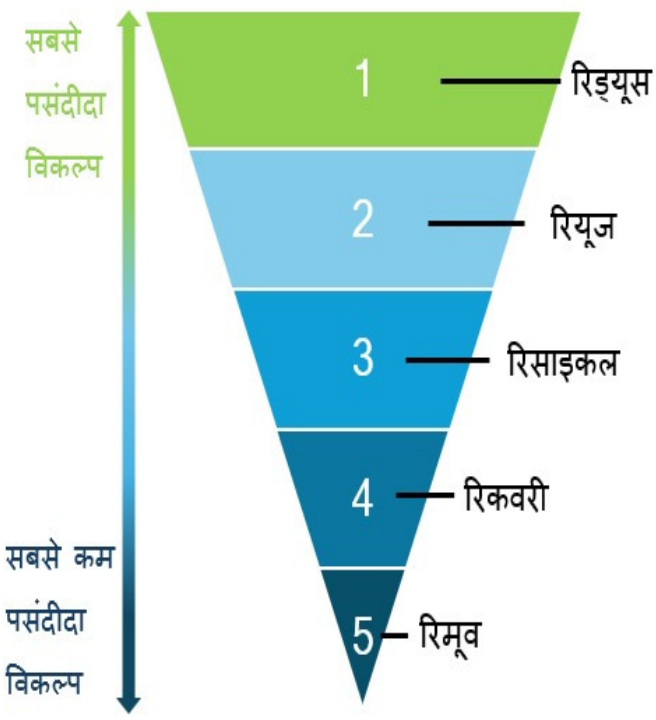

चार्ट-1.1: अपशिष्ट प्रबंधन का पदानुक्रम और प्रक्रिया

रियूज (पुनः उपयोग करना): किसी वस्तु का पुनः उपयोग, उसके स्वरूप या गुणों को परिवर्तित किए बिना, समान या भिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग मे लाकर अपशिष्ट धारा से हटा देना है।

रिसाइकल (पुनर्चक्रण): पुनर्चक्रण एक प्रक्रिया है, जिसमें नये उत्पादों के निर्माण के लिए सामग्रियों को दूसरे संसाधनों में परिवर्तित किया जाता है। अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्षेत्र को बढ़ावा देना और उसे संस्थागत समर्थन प्रदान करना, सभी हितधारकों को अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत पर ही छंटनी करने के लिए प्रेरित करना, अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में अपशिष्ट धारा से वस्तुओं को अलग करना और उन्हें उत्पादों या कच्चे माल के रूप में संसाधित करना शामिल है। यह दृष्टिकोण किसी उत्पाद को उसके जीवन काल के अंत तक पहुंचने पर पुनर्चक्रित करने का प्रयास करता है।

रिकवरी (पुनर्प्राप्त करना): पुनर्प्राप्ति में घटकों या सामग्रियों को पुनः प्राप्त करना या अपशिष्ट को ईंधन के रूप में उपयोग करना शामिल है। सामग्री पुनर्प्राप्ति में विभिन्न प्रकार की यांत्रिक या जैविक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो अपशिष्ट धारा से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को हटा देती हैं।

रिमूव (समाप्त करना): समाप्त करना अवशेष प्रबंधन या उन सामग्रियों के प्रबंधन को संदर्भित करता है जो पिछले 4-आर लागू होने के बाद बच जाते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के अंतिम चरण में उत्पादन के दौरान अपशिष्ट की मात्रा को कम नहीं किया जा सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम को लागू करने का उद्देश्य अपशिष्ट को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना और इन संभावित संसाधनों को डम्प स्थल से हटाना है।

अपशिष्ट प्रबंधन की एकीकृत प्रक्रिया को **चार्ट-1.2** में दर्शाया गया हैः

चार्ट-1.2: एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

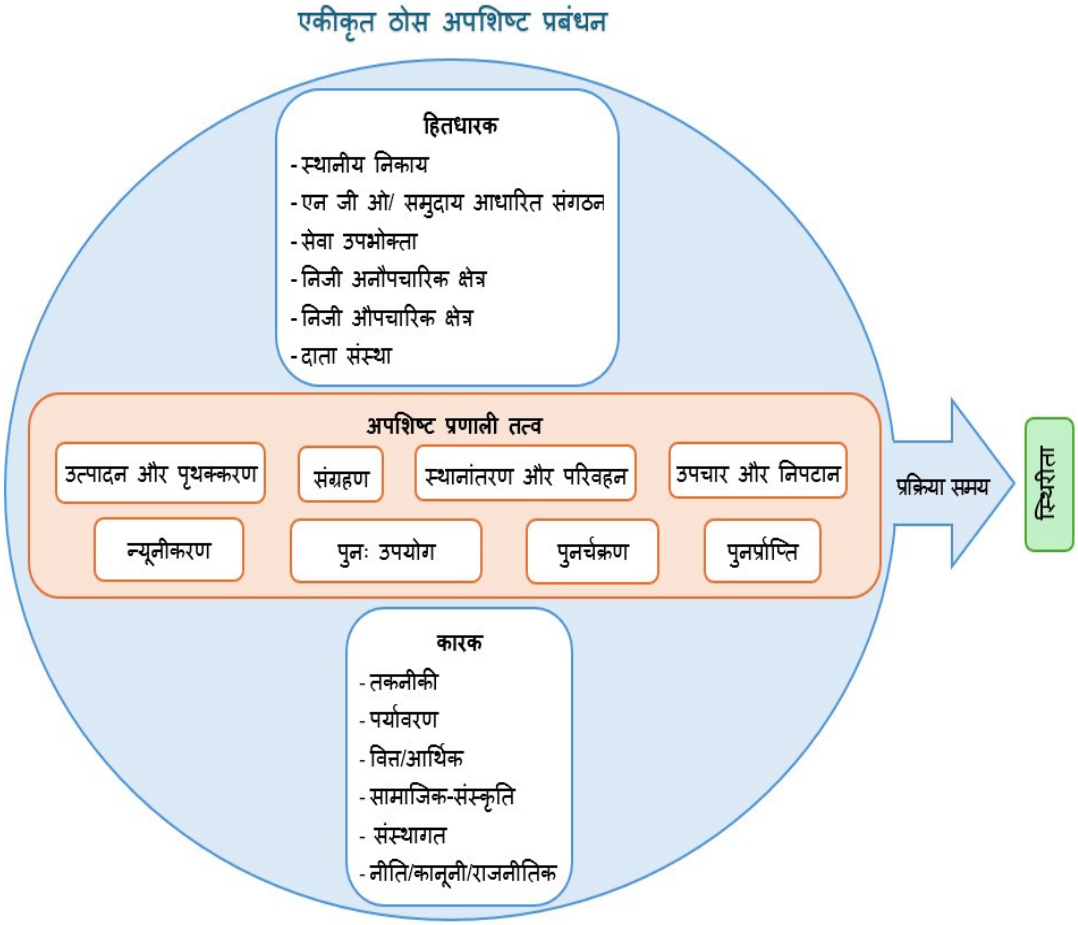

प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में सामान्यतः पूर्व-प्रसंस्करण सुविधाएं होतीं हैं जो जैविक अपशिष्ट को, पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट और अन्य उच्च कैलोरी वाले अपशिष्ट से अलग करती है। जैविक अपशिष्ट को आमतौर पर एरोबिक (वायुजीवी) रूप से खाद मे परिवर्तित किया जाता है या एनारोबिक रूप से (वायु की अनुपस्थिति में) ऊर्जा उत्पादन के लिए संसाधित किया जाता है। पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को अलग किया जाता है और उन्हें थोक विक्रेताओं को भेजा जाता है ताकि आगे पुनर्चक्रण संयंत्रों को आपूर्ति की जा सके। उच्च कैलोरी वाले अपशिष्ट को फिर गट्ठर बनाया जाता है या संसाधित किया जाता है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है या सीमेंट संयंत्रों में सह-प्रसंस्करण हेतु भेजा जा सकता है। प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ ***परिशिष्ट-1.1*** में विस्तृत रूप से दर्शित है।

1.3 अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला नियामक ढाँचा

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ठोस अपशिष्ट के निस्तारण और प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है और राज्य स्तर एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर जिम्मेदारियाँ निर्धारित करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त, संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992, जो 01 जून 1993 को लागू हुआ, ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 डबल्यू में प्रावधान है कि राज्य की विधायिका, कानून द्वारा, नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। संविधान की बारहवीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाने वाले 18 विशिष्ट कार्यों की सूची दी गई है। राज्य सरकार ने "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" का कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंप दिया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता पर कुछ कर्तव्य व जिम्मेदारियाँ निर्धारित करता है;

(i) अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता अपशिष्ट को तीन अलग-अलग भागों में अलग करने और संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार हैं- जैविक या गीला अपशिष्ट, अजैविक या सूखा अपशिष्ट और घरेलू हानिकारक अपशिष्ट, जिन्हें अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपा जाना है।

(ii) अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता को अपशिष्ट जलाने, जमीन में गाड़ने या सड़कों की नालियों और जल स्रोत में फेंकने की अनुमति नहीं है।

(iii) सभी निवासी कल्याण संघों, गेटेड समुदायों और 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले संस्थानों और बाजार संघों को जैविक और अजैविक अपशिष्ट की छटनी, स्रोत पर ही सुनिश्चित करना होगा और यथासंभव प्रक्रिया के माध्यम से जैविक अपशिष्ट का विकेन्द्रीकृत उपचार अपने परिसर मे करना होगा।

चार्ट-1.3: नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला का फ्लो चार्ट

(iv) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को अलग से संग्रहित किया जाना होगा और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निवारण किया जाना होगा।

(v) जैविक अपशिष्ट को खाद बनाने/ बायो-मेथनेशन के माध्यम से संसाधित किया जाना है, जबकि अवशेष को अलग से सौंपना है।

1.4 उत्तराखण्ड में नगरीय ठोस अपशिष्ट

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू के पी सी बी) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उत्सर्जित, एकत्रित और संसाधित नगरीय ठोस अपशिष्ट को **तालिका-1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.1: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उत्सर्जित, संग्रहित और संसाधित नगरीय ठोस अपशिष्ट

ठोस अपशिष्ट टन प्रति दिन	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य में उत्सर्जित	1,099.00	1,527.46	1,610.94	1,458.46	1,585.39
राज्य में संग्रहण	1,099.00	1,437.40	1,481.06	1,378.99	1,451.59
उत्सर्जन की तुलना में अपशिष्ट संग्रहण का *प्रतिशत*	***100***	***94***	***92***	***95***	***92***
राज्य में संसाधित	शून्य	524	716.64	779.85	1,050.00
संग्रहण की तुलना में संसाधित अपशिष्ट का *प्रतिशत*	***शून्य***	***36***	***48***	***57***	***72***

स्रोत: यू के पी सी बी की वार्षिक रिपोर्ट।

जैसा की उपरोक्त से स्पष्ट है, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान औसतन 95 *प्रतिशत* अपशिष्ट एकत्र किया गया और 43 *प्रतिशत* संसाधित किया गया और अवशेष ठोस अपशिष्ट का एक बड़ा हिस्सा डम्प स्थल में डाल दिया, जिसका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

1.4.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण एवं निगरानी

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी स्तरों, योजना, निष्पादन और निगरानी में विभिन्न प्राधिकारियों की भूमिका नीचे **तालिका-1.2** में दर्शायी गई है:

तालिका-1.2: प्राधिकरणों की भूमिकाएँ

स्तर	*योजना, कार्यान्वयन और निगरानी*	*प्राधिकरण*	*प्राधिकरणों की भूमिका*
राज्य	*नीति निर्धारण, निगरानी एवं मूल्यांकन*	*शहरी विकास विभाग*	• *नीतियाँ बनाना और कार्य-योजनाओं का मसौदा तैयार करना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करना, प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आर एफ़ पी) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं से संबंधित अन्य वैधानिक अनुपालन।*

		उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	• *किसी सुविधा के संचालक या शहरी स्थानीय प्राधिकरण, या किसी अन्य जिम्मेदार एजेंसी को प्राधिकार प्रदान करना।* • *राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू करना और राज्य शहरी विकास विभाग के निदेशालय या प्रभारी सचिव के साथ निकट समन्वय में इन नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।* • *अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण स्थलों के लिए अनुसूची-I और अनुसूची-II के अन्तर्गत निर्दिष्ट पर्यावरणीय मानकों और शर्तों के पालन की निगरानी करना।*
जनपद	*क्रियान्वयन*	*शहरी स्थानीय निकाय- नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें*	
	निगरानी एवं मूल्यांकन	*क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय*	

1.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का संगठनात्मक ढाँचा नीचे चार्ट में दिया गया है-

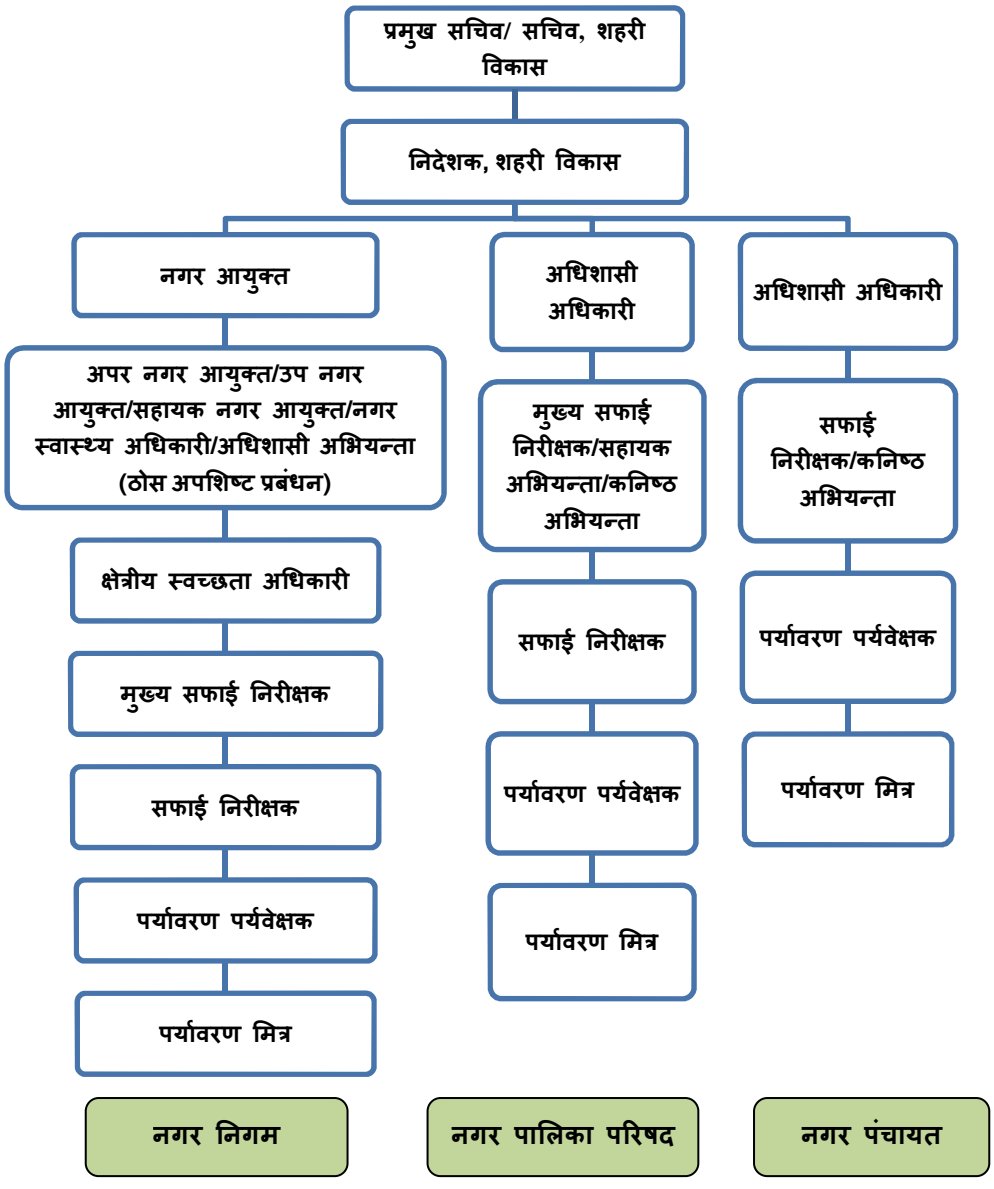

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू के पी सी बी) को नगरीय ठोस अपशिष्ट के अधिनियमों और नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य स्तर पर सदस्य सचिव, यू के पी सी बी और क्षेत्रीय स्तर पर चार क्षेत्रीय अधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं।

1.5 शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्त पोषण

किसी भी कार्य के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए सतत वित्त पोषण सर्वोपरि है। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तभी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का समर्थन प्राप्त हो।

1.5.1 वित्तीय स्रोत

शहरी स्थानीय निकाय, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी अनुदानों के साथ-साथ अपने स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व का उपयोग करके नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को क्रियान्वित करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 नियमावली के प्रस्तर 1.4.5.6.2 के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं को आत्म निर्भरता के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। इसलिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियोजन में वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों मे 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के स्थानीय निकायों को अनुदान आवंटन में टाइड अनुदान (60 *प्रतिशत)* और अनटाइड अनुदान (40 *प्रतिशत)* शामिल हैं। टाइड अनुदान का वितरण पेयजल हेतु (50 *प्रतिशत)*, जिसमें वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण शामिल है, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु (50 *प्रतिशत)* किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त निधि के विभिन्न स्रोत नीचे **तालिका-1.3** में दर्शाए गए हैं:

तालिका-1.3: अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों में निधियों के स्रोत

क्र. सं.	स्रोत	विवरण
1	केन्द्रीय अनुदान	• 14वाँ वित्त आयोग • 15वाँ वित्त आयोग • स्वच्छ भारत मिशन • पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता
2	राज्य अनुदान	• राज्य वित्त आयोग
3	स्वयं के संसाधन (निकाय निधि)	• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता शुल्क, • उत्पादों और उप-उत्पादों (खाद, आदि) की बिक्री, • पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं की बिक्री • जुर्माना

स्रोतः विभाग द्वारा दी गई सूचना।

1.5.2 कुल उपलब्ध निधियों के सापेक्ष ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15(भ) के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को अपने वार्षिक बजट में पूंजी निवेश के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करना अनिवार्य है। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि स्थानीय निकाय, विवेकाधीन कार्यों के लिए धनराशि आवंटित करने से पूर्व, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य अनिवार्य कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करें। परीक्षण किए गए शहरी स्थानीय निकायों में कुल व्यय की तुलना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किए गए व्यय का विवरण नीचे **तालिका-1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.4: नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय	कुल व्यय का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय का *प्रतिशत*
2017-18	434.91	298.15	111.09	***37.26***
2018-19	538.64	329.25	128.54	***39.04***
2019-20	650.47	334.59	144.89	***43.30***
2020-21	783.46	471.20	174.68	***37.07***
2021-22	744.58	528.04	192.68	***36.48***
योग		**1,961.23**	**751.88**	***38.34***

स्रोत: नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

तालिका से देखा जा सकता है, नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 2017 एवं 2022 की अवधि के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर किया गया व्यय, कुल व्यय का 38.34 *प्रतिशत* था। नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से किए गए कुल आवंटन और व्यय का विवरण ***परिशिष्ट-1.2*** में दिया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा ढाँचा

1.6.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या:

- शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की "नीति और योजना" मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुरूप होने के साथ-साथ उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट से निपटने में प्रभावी है;
- संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन और निस्तारण सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े नगर निगम के कार्य प्रभावी, कुशल और किफायती थे;

- शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की योजना, निर्माण, चालू करना, संचालन एवं रख-रखाव प्रभावी, कुशल और वित्तीय रूप से स्थिर था;
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की निगरानी और मूल्यांकन पर्याप्त और प्रभावी था।

1.6.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा शहरी विकास निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय और उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध आंकड़ें और सूचनाएँ एकत्रित की गयी। शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थलों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया।

अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग के साथ दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को एक प्रवेश गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंड, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। मसौदा टिप्पणियों पर चर्चा के लिए बहिर्गमन गोष्ठी दिनांक 06 सितम्बर 2023 को अपर सचिव, शहरी विकास विभाग और सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ आयोजित की गयी थी। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को यथाआवश्यक, सम्मिलित किया गया है।

1.6.3 लेखापरीक्षा मानदंड

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन के मानदंड मुख्यतः निम्न से प्राप्त किए गए थे:

- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016;
- ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम 2016;
- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016;
- सेवा स्तर मानक दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रदर्शन मानदंड; और
- उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देश।

1.6.4 नमूना चयन

राज्य में अपशिष्ट का प्रबंधन 102 शहरी स्थानीय निकायों (नौ नगर निगम, 42 नगर पालिका परिषद और 51 नगर पंचायत) द्वारा किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर (नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत) में

प्रत्येक क्षेत्र से दो नगर निगम, 10 *प्रतिशत* नगर पालिका परिषद और पाँच *प्रतिशत* नगर पंचायत का चयन किया गया था। लेखापरीक्षा इकाइयों का चयन 'आइडिया' (आई डी ई ए) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सरल रैडंम नमूनाकरण (क्षेत्रवार) लागू करके किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, चार धाम मार्ग में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की जाँच के लिए एक नगर पालिका परिषद और एक नगर पंचायत को भी चुना गया। आगे, शहरी स्थानीय निकायों के अतिरिक्त, दोनों क्षेत्रों के यू के पी सी बी के क्षेत्रीय कार्यालयों का भी चयन किया गया। कुल मिलाकर 17 इकाइयों, 13 शहरी स्थानीय निकायों[1] और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चार क्षेत्रीय कार्यालयों[2] को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। चयनित शहरी स्थानीय निकायों को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है:

फोटो-1.1: चयनित शहरी स्थानीय निकायों का मानचित्र

1.7 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, उत्तराखण्ड सरकार, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग को स्वीकार करता है एवं लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन के लिए इन विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सहायता की भी सराहना करता है।

---

1 चार नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर; पाँच नगर पालिका परिषद मसूरी, खटीमा, बड़कोट, नैनीताल और नई टिहरी; चार नगर पंचायत दिनेशपुर, नौगाँव, स्वर्गाश्रम जोंक और अगस्त्यमुनि।

2 देहरादून, रूड़की, हल्द्वानी और काशीपुर।

1.8 प्रतिवेदन की संरचना

इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख घटकों अर्थात, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, भंडारण और अपशिष्ट का निस्तारण, मानव संसाधन, प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों के संबंध में नियामक निकायों की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में पायी गयी कमियों और खामियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर आगे संबंधित अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है।